राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email Id : pdme2k.rdd@ rajasthan.gov.in)

विषयः– पंचायती राज द्वारा नवगठित पंचायत समिति एवं पंचायती राज संस्थाओ से ग्राम पंचायतो को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– पंचायती राज के क्रमांक 1206 दिनांक 13.09.2022, क्रमांक 1208 एवं 1209 दिनांक 14.09.2022 द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2022–23 की घोषणा संख्या 61 में बगडी (सोजत)–पाली को नई पंचायत समिति बनाये जाने की पालना में पंचायती राज के क्रमांक 1206 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है।

इस क्रम में ग्राम पंचायत नरायना के राजस्व ग्राम नरायना एवं ग्राम भरतोलाव के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को पंचायत समिति साम्भरलेक, जिला–जयपुर से पृथक कर नवगठित नगरपालिका नरायना में शामिल किया गया है, जिसकी पंचायती राज के पत्रांक 1208 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायतो को पंचायतीराज संस्थाओ से पृथक करने की अधिसूचना जारी की गयी है।

ग्राम पंचायत ऋषभदेव के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं समीप में आने वाले राजस्व ग्राम धुलेव, भाउवा एवं ग्राम पंचायत थाणा के राजस्व ग्राम थाणा, रायणा पंचायत समिति ऋषभदेव, जिला–उदयपुर से पृथक करते हुए ऋषभदेव को चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित किया गया है। जिसकी पंचायती राज के पत्रांक 1209 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायतो को पंचायतीराज संस्थाओ से पृथक करने की अधिसूचना जारी की गयी है।

पंचायतीराज विभाग से प्राप्त अधिसूचना संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(बी. एल. वर्मा)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)

1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकारण।
2 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
3 वित्तीय सलाहकार ग्रावि.।
4 परि. निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस।
5 परियोजना निदेशक (LP & SHG), राजीविका।
6 परि. निदे. एवं उप सचिव, एसएपी, ग्रावि।
7 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
8 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), ग्रामीण विकास।

क्रमांक प 2(41)ग्रावि/अनु0 8/अ.वि./2022
जयपुर, दिनांक :– 19.09.2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2.निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका।
3.निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।

I.D. No. 3790 Secy/RD/2022
Date 14 SEP 2022

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

कमांकः—एफ.15(11)पंरावि / विधि / पं.सं.गठन / पाली / 2022 / 1206 जयपुर, दिनांकः— 13/09/2022

::अधिसूचना::

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2022—2023 की घोषणा संख्या 61 में बगडी (सोजत) —पाली को नई पंचायत समिति बनाये जाने की पालना में विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(11)पंरावि / विधि / पं.सं.गठन / पाली / 2022 / 618 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या—13) की धारा—98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा—10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, पाली को पंचायत समिति के पुनर्गठन / पुनर्सीमांकन / नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात तैयार किये प्रस्तावों का राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिए अधिकृत किया गया था ।

जिला कलक्टर, पाली द्वारा उपर्युक्त कारवाई किये जाने के पश्चात पत्र क्रमांक 781 दिनांक 25.08.2022 द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावों के अनुसार पंचायत समिति, सोजत व मारवाड़ जंक्शन का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति बगड़ी का निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	क्र.सं. ग्रा.पं.	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	पुनर्गठित / नवसृजित पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	क्र.सं. ग्रा.पं.	पुनर्गठित / नवसृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम
1	2	3	4	5	6
सोजत	1	बोयल	सोजत	1	बोयल
	2	सोजत रोड़		2	सोजत रोड़

PD(M&E) (3) 13.9.22

15/9/2022

Action Copy

	3	सियाट		3	सियाट
	4	बासना		4	बासना
	5	भैसाना		5	भैसाना
	6	रेन्दड़ी		6	रेन्दड़ी
	7	सरदारसमन्द		7	सरदारसमन्द
	8	बिलावास		8	बिलावास
	9	रूपावास		9	रूपावास
	10	रेपड़ावास		10	रेपड़ावास
	11	शिवपुरा		11	शिवपुरा
	12	मेव		12	मेव
	13	धुरासनी		13	धुरासनी
	14	सुरायता		14	सुरायता
	15	धाकड़ी		15	धाकड़ी
	16	खारिया सोडा		16	खारिया सोडा
	17	झुपेलाव		17	झुपेलाव
	18	अटपड़ा		18	अटपड़ा
	19	गागुड़ा		19	गागुड़ा
	20	धिनावास		20	धिनावास
	21	मण्डला		21	मण्डला
	22	राजौला कलां		22	राजौला कलां
	23	चौपड़ा		23	चौपड़ा
	24	खारीया नींव		24	खारीया नींव
	25	चाड़वास		25	चाड़वास
	26	साण्डिया	बगड़ी	1	साण्डिया
	27	चण्डावल		2	चण्डावल
	28	बगड़ी		3	बगड़ी
	29	हरियामाली		4	हरियामाली
	30	चण्डावल स्टेशन		5	चण्डावल स्टेशन
	31	गुड़ा कलां		6	गुड़ा कलां
	32	गुड़ा रामसिंह		7	गुड़ा रामसिंह
	33	केलवाद		8	केलवाद
	34	खोडिया		9	खोडिया
	35	रायरा कलां		10	रायरा कलां
	36	गुड़ा बींजा		11	गुड़ा बींजा
	37	करमावास पट्टा		12	करमावास पट्टा
	38	खोखरा		13	खोखरा
मारवाड़ जंक्शन	1	सेहवाज		14	सेहवाज

	2	धुन्धला		15	धुन्धला
	3	बोरनड़ी		16	बोरनड़ी
	4	शेखावास		17	शेखावास
	5	सवराड़		18	सवराड़
	6	झिंझारड़ी		19	झिंझारड़ी
	7	माण्डा		20	माण्डा
	8	मुसालिया		21	मुसालिया
	9	कन्टालिया		22	कन्टालिया
	10	आउवा	मारवाड़ जंक्शन	1	आउवा
	11	बान्ता		2	बान्ता
	12	बाडसा		3	बाडसा
	13	बासनी जोजावर		4	बासनी जोजावर
	14	भगोड़ा		5	भगोड़ा
	15	भिमालिया		6	भिमालिया
	16	बिठुडा कला		7	बिठुडा कला
	17	वोपारी		8	वोपारी
	18	बोरीमादा		9	बोरीमादा
	19	चौकडिया		10	चौकडिया
	20	चिरपटिया		11	चिरपटिया
	21	देवली		12	देवली
	22	धामली		13	धामली
	23	धनला		14	धनला
	24	दुदौड		15	दुदौड
	25	गादाणा		16	गादाणा
	26	गुड़ा केसरसिंह		17	गुड़ा केसरसिंह
	27	गुड़ा रामसिंह		18	गुड़ा रामसिंह
	28	गुड़ा सुरसिंह		19	गुड़ा सुरसिंह
	29	हिंगोला खुर्द		20	हिंगोला खुर्द
	30	ईसाली		21	ईसाली
	31	जाडन		22	जाडन
	32	जाणुन्दा		23	जाणुन्दा
	33	जोजावर		24	जोजावर
	34	कराड़ी		25	कराड़ी
	35	मलसा बावड़ी		26	मलसा बावड़ी
	36	निम्बली माण्डा		27	निम्बली माण्डा
	37	पांचेटिया		28	पांचेटिया
	38	फुलाद		29	फुलाद

	39	रडावास		30	रडावास
	40	राणावास		31	राणावास
	41	सारण		32	सारण
	42	सिरियारी		33	सिरियारी
	43	सिनला		34	सिनला
	44	बांसौर		35	बांसौर
	45	हेमलियावास खुर्द		36	हेमलियावास खुर्द
	46	चवाडिया		37	चवाडिया

आज्ञा से,

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर ।
10. संभागीय आयुक्त, समस्त (राजस्थान) ।
11. जिला कलक्टर, समस्त (राजस्थान) ।
12. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त (राजस्थान) ।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।
14. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज मुख्यालय ।

15. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट), पंचायती राज मुख्यालय ।

16. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय ।

17. संयुक्त निदेशक (मों0) मुख्यालय।

18. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त (राजस्थान) ।

19. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।

20. रक्षित पत्रावली ।

(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

I.D. No 3808 Secy/RD/2021
Date 15/09/22

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.15(41)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2022/ 1208 जयपुर, दिनांक:- 14/09/22

::अधिसूचना::

PD (MRE) (3)

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/1841 दिनांक 27.06.2022 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत नरायना के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम नरायना एवं ग्राम भरतोलाव के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नरायना को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत नरायना के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम नरायना एवं ग्राम भरतोलाव के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/1841 दिनांक 27.06.2022 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका नरायना में सम्मिलित ग्राम पंचायत नरायना के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम नरायना एवं ग्राम भरतोलाव के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र, पंचायत समिति-सांभरलेक, जिला जयपुर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

15/9/2022

आज्ञा से,

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
4 निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ।
6 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग ।
7 मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर ।
8 निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग ।
9 निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
10 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।
11 संभागीय आयुक्त, जयपुर ।
12 जिला कलक्टर, जयपुर ।
13 मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर ।
14 वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
15 समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय ।
16 ए.सी.पी. मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
17 विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित ।
18 रक्षित पत्रावली ।

(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.15(41)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2022/ 1209 जयपुर, दिनांक:- 14/9/22

::अधिसूचना::

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/1792 दिनांक 24.06.2022 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत ऋषभदेव के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं समीप में आने वाले राजस्व ग्राम धूलेव, भाउवा एवं ग्राम पंचायत थाणा के राजस्व ग्राम थाणा, रायणा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ऋषभदेव को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत ऋषभदेव एवं राजस्व ग्राम धूलेव, भाउवा एवं ग्राम पंचायत थाणा के राजस्व ग्राम थाणा, रायणा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अतः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/1792 दिनांक 24.06.2022 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका ऋषभदेव में सम्मिलित ग्राम पंचायत ऋषभदेव के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं समीप में आने वाले राजस्व ग्राम धूलेव, भाउवा एवं ग्राम पंचायत थाणा के राजस्व ग्राम थाणा, रायणा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र, पंचायत समिति- ऋषभदेव, जिला उदयपुर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
4 निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ।
6 निजी सचिव, शासन सचिव, पचायती राज विभाग ।
7 मुख्य निर्वाचन अधिकारी एव सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर ।
8 निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग ।
9 निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
10 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।
11 संभागीय आयुक्त, उदयपुर ।
12 जिला कलक्टर, उदयपुर ।
13 मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
14 वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
15 समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय ।
16 ए.सी.पी. मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
17 विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित ।
18 रक्षित पत्रावली ।

(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

734
सचिव ग्रामीण
विकास